# संघर्ष संवाद

दिसंबर 2013 नई दिल्ली

भारत में जनांदोलनों के लिए यह साल नई चुनौतियों और आम लोगों के उनसे जूझने और सीखने का रहा. साल की शुरुआत दिल्ली में बलात्कार-विरोधी आंदोलन से हुई जिसकी गूँज पूरे देश में सुनी गयी. औरतों पर हो रही हिंसा और गैर-बराबरी पर पहली बार तीखी राष्ट्रीय बहस हुई. जनांदोलनों की एक महत्वपूर्ण और निर्णायक जीत ओड़िशा के नियमगिरि में वेदान्त-विरोधी आंदोलन में सामने आई जहां आदिवासी जनता ने अपने जीवन-स्रोत नियमगिरी पर्वत से खनन कंपनी को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य के आन्दोलनों पर भी असर डालेगा. प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के हक़ को सीधे सैधांतिक मंजूरी न देकर उनके धार्मिक विश्वास के आधार पर नियमगिरि को ग्राम सभाओं के हवाले किया गया.

दो हज़ार तेरह कूडनकुलम जैसी जगहों में जुझारू आंदोलन के बाद भी सरकार के दमनपूर्ण रवैये और अंततः न्यायालय की भी उपेक्षा का गवाह बना, जबकि मध्य प्रदेश के चुटका में जन-दबाव के चलते दो बार सरकारी पर्यावरणीय जनसुनवाईयां निरस्त करनी पडीं. प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान वहाँ की कंपनियों को बिना मुआवजे के प्रावधान के अणु-बिजलीघर लगाने का न्यौता देकर भोपाल में यूनियन कार्बराइड के गैस हादसे की याद दिला देता है और इस तरफ भी इशारा कर देता है कि इस देश के नागरिकों का भविष्य क्या है?

**झारखंड**

- डिमना बांध : हम तो लड़ेंगे साथी, हम न डरेंगे !

**उत्तराखंड**

- जन सरोकारों से जुड़े आन्दोलन का आगाज़.....

**गुजरात**

- 'एकता की मूर्ति' हेतु जमीन अधिग्रहण का विरोध

**मध्य प्रदेश**

- चंद्रवंशी पर लगाए फर्जी मुकदमे वापस लो
- भोपाल गैस त्रासदी की 29वीं बरसी: जन प्रतिरोध बनाम कारपोरेट दमन
- इंदिरा सागर बांध विरोधी आंदोलन
- परमाणु विरोधी आंदोलन तेज करने के लिए एकजुट हो!
- ग्रामीणों ने महान जंगल पर जताया अपना अधिकार

**हरियाणा**

- जमीन अधिग्रहण के विरोध में दस लोगों ने मांगी इच्छा मृत्यु

**ओडिशा**

- पोस्को: बर्बर दमन व छल के बीच जारी है प्रतिरोध, अभय साहू जेल से रिहा
- लोअर सुकतेल बांध : राष्ट्रपति से परियोजना रद्द करने की मांग

**छत्तीसगढ़**

- 13 गांव के लोगों ने कोयला कानून तोड़ ऐलान किया जमीन हमारी, कोयला भी हमारा

**उत्तर प्रदेश**

- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के विरोध में अनशन शुरू

**दिल्ली**

- पूंजीवाद का संकट और लोकतंत्र पर अंधाधुंध हमला

**तमिलनाडु/ महाराष्ट्र**

- परमाणु दुःस्वप्न से जूझते भारत के आम लोग

## झारखण्ड

# डिमना बांध : हम तो लड़ेंगे साथी, हम न डरेंगे !

*30 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2013 तक झारखण्ड के जमशेदपुर शहर के पास डिमना बांध के विस्थापितों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए जल सत्याग्रह किया. ज्ञात हो कि डिमना बांध के लिए 1941 में बिहार के गवर्नर एवं टिस्को के बीच एक करार हुआ था जिसके आधार पर जनहित अर्थात कंपनी एवं नागरिक जरूरतों के लिए इस बांध का निर्माण करना था बांध का निर्माण हुआ, शहर एवं कंपनी को पानी मिला, परन्तु 12 गांव के लोग उजड़ गये। चंद मुआवजे के साथ वे पुश्तैनी घर बार छोड़ने को बाध्य हुए तब से ये ग्रामीण अपने पुनर्वास एवं मानवीय जीवन के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेश हैं झारखण्ड मुक्ति वाहिनी की यह रिपोर्ट:*

पिछले 6 वर्ष से झारखण्ड मुक्ति वाहिनी के बैनर तले पुनर्वास हक पाने का संघर्ष जारी है। प्रशासन की मध्यस्थता से विस्थापितों एवं टाटा स्टील की 18 दौर की वार्ता हो चुकी है। इस वार्ता में यह तय हो चुका है कि लायलम एवं पुनसा ग्राम के 5.83 एकड़ ऐसी जमीन डूब में आ रही है जिसका अधिग्रहण भी नहीं हुआ। न तो कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है और न ही किराया। इस जमीन का टाटा स्टील को क्या करना है यह भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। टाटा स्टील रैयतों, वन-विभाग एवं सरकारी 102 एकड़ जमीन पर 42 अवैध दखल की हुई थी। अधिग्रहित इस जमीन की क्षतिपूर्ति देने के लिए कंपनी तैयार नहीं है।

हमारी मांगें -

- टाटा कंपनी अतिक्रमित 102 एकड़ जमीन की क्षतिपूर्ति दी जाये।
- डिमना बांध में अन-अधिग्रहित मौजा पुनसा के 3.84 एकड़ और लायलम के 1.99 एकड़ जमीन के फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति दे।
- डिमना बांध के विस्थापितों को बकाया मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास की व्यवस्था की जाय।
- टाटा कंपनी के द्वारा विस्थापित परिवारों को डिमना के पानी के उपयोगिता मूल्य या लाभ का आधा हिस्सा दिया जाए।
- डिमना बांध में नौकाचालन और मत्स्य पालन का अधिकार विस्थापितों के समूह को दिया जाये।
- टाटा स्टील के कर्मचारियों की तरह विस्थापित परिवारों को भी नौकरी, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधायें दी जायें।
- डिमना बांध के किनारे अमरी पौधे की झाड़ियो को नियमित रूप से साफ किया जाये।
- डिमना बांध के किनारे-किनारे लिफ्ट-इरिगेशन द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाये।
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत विस्थापित इलाको में ग्राम सभा की सहमति से विकास कार्य किया जाय।

विस्थापित मुआवजा एवं समुचित पुनर्वास के साथ-साथ इस क्षेत्र में एक हाईस्कूल एवं डिस्पेन्सरी खोलने की मांग कर रहे हैं। मछली, नौका परिचालन पर विस्थापितों का हक कायम हो, कारपोरेट सामाजिक दायित्व को लागू किया जाए और टाटा स्टील की नौकरी एवं अप्रेन्टिस में प्राथमिकता दी जाए।

जल सत्याग्रह के दुसरे दिन 1 अक्टूबर, 2013 को लगातार दिन भर आकाश में बादल छाये रहने, तेज बारिश और बूंदाबांदी के सिलसिले के बीच भी जल सत्याग्रहियों का जमे रहना उनकी जुझारू संघर्षशीलता को जाहिर कर रहा था। विगत रात जल सत्याग्रह के समर्थकों के बैठने और इंतजाम की सामग्रियों को रखने वाले दोनों टेंट गिर गये थे, फिर भी व्यवधान नहीं आने दिया गया। आज तो कल की अपेक्षा ज्यादा संख्या में जल सत्याग्रही पानी में उतरे, अथक खड़े रहे। आज महिला सत्याग्रहियों की भी संख्या ज्यादा रही। विस्थापित आंदोलनकारी गिरफ्तारी देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

उल्लेखनीय है कि जल सत्याग्रह वैसे वक्त में हो रहा है, जब डिमना बांध में पुनसा और सायलम की

5.89 एकड़ जमीन गैर-अधिग्रहित जमीन डूबी हुई है। लगभग 79 सालों से हर साल बरसात में लगभग इतनी जमीन डूबती है, फिर भी टाटा कंपनी क्षतिपूर्ति नहीं देती और न प्रशासन ही टिसको पर कोई कार्रवाई करता है। डिमना बांध टाटा घराने की बेईमानी और अनैतिकता तथा प्रशासन की संवेदनशून्यता और निकम्मेपन का साक्ष्य बन चुका है। पिछले पांच-छः वर्षों से झारखंड मुक्ति वाहिनी इस अनैतिकता और संवेदनशून्यता के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है। यह आंदोलन इन मांगों की बुनियाद पर विकसित हो रहा है- बांध में नौकापालन और मत्स्यपालन का अधिकार विस्थापितों को मिले। टाटा स्टील के कर्मचारियों की तरह विस्थापित परिवारों को नौकरी, शिक्षा ओर चिकित्सा की सुविधा मिले। विस्थापितों के बकाया मुआवजा मिले। 102 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के अपराध के लिए टिसको को दंडित किया जाय और क्षतिपूर्ति वसूली जाय। लिफ्ट सिंचाई के जरिये बांध किनारे के खेतों को सिंचाई की सुविधा दी जाये। विस्थापितों को पानी की उपयोगिता मूल्य और लाभ का हिस्सा दिया जाय।

2 अक्टूबर 2013 को डिमना विस्थापितों ने डिमना डैम स्थित जुस्को-टिसको कार्यालय पर धरना और गिरफ्तारी दी. सत्याग्रह स्थल पर गांवों से भारी संख्या में महिला-पुरुष, नौजवान जुटे। 1 बजे से गाजे -बाजे और नारों के साथ रैली की शक्ल में विस्थापितों का सत्याग्रह डिमना लेक स्थित टिस्को-जुस्को कार्यालय की ओर रवाना हुआ। कार्यालय के पास जुलूस को रोका गया, तब जुलूस घेराव में बदल गया। घेराव के दौरान गिरफ्तारी देने वालों का नाम मांगा गया। उपस्थित तमाम लोगों ने गिरफ्तारी देने के लिए अपना हाथ उठाया। जुलूस में लगभग हजार लोग शामिल थे। घंटों यह घेराव जारी रहा। अन्ततः पुलिस-प्रशासन ने 125 लोगों को गिरफ्तारी के लिए नामजद किया और गिरफ्तार करने के बाद लोगों को छोड़ दिया। घेराव के दौरान हुई बैठक में अगले कार्यक्रमों का फैसला लिया और उसकी घोषणा की गयी। प्रशासन की ओर से 3 अक्टूबर 2013 को आयोजित विस्थापित और टिस्को के वार्तालाप में जाने की घोषणा हुई। ग्रामीण स्तर पर डैम में मछली मारने और नौका चालन का सत्याग्रह करने तथा मुंबई में आनेवाले दिनों में टाटा घराने के मुख्यालय पर सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया है।

03 अक्टूबर 2013 को जल सत्याग्रह समाप्त होने के दूसरे ही दिन लम्बित समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम रंजन की अध्यक्षता में 19वें दौर की वार्ता सम्पन्न हुई। वार्ता में टाटा स्टील की ओर से अजय सहाय एवं देवदूत महंती तथा विस्थापित कपूर बागी, कुमार दिलीप, दिलीप कुमार तथा बोड़ाम प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपू कुमार शामिल थे।

विस्थापितों की ओर से सबसे पहले बिना अधिग्रहण के डूब में आने वाली 5.83 एकड़ जमीन का मामला उठाया। यह जमीन डिमना जलाशय के सामान्य स्तर पर ही प्रभावित होती है जिसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। टाटा कंपनी की ओर से विस्थापितों के दावे को नकारा गया और कहा कि 1971 से लेकर अबतक 532 फुट तक पानी एक बार ही गया है। विस्थापित प्रतिनिधियों ने कहा कि यह जलाशय का जल स्तर नहीं है बल्कि ओवर-फ्लो का है। प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाय। इसके बाद विस्थापितों ने टाटा कंपनी द्वारा रैयतों का 17 एकड़ जमीन का मामला उठायां ज्ञात हो कि वन विभाग एवं सरकारी कुल 102 एकड़ जमीन पर टाटा ने न सिर्फ अपना पिलर गाड़ कर कब्जा किया बल्कि 1964 के नक्शे में इसे जलाशय का हिस्सा दर्शाया गया। अवैध कब्जे की जमीन पर मुआवजे की मांग पर टाटा स्टील ने कहा कि उक्त जमीन पर उनका कोई दावा नहीं हैं इसके अलावा मछली पालन एवं नौका परिचालन के मामले में भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। विस्थापितों ने इन मुद्दों पर टाटा स्टील के उच्च अधिकारी से मिलने का तय किया। सामाजिक उत्तरदायित्व को पंचायत एवं ग्रामसभा के साथ मिलकर लागू करने की मांग की जिसे टाटा स्टील ने स्वीकार किया।

# उत्तराखण्ड

## जन सरोकारों से जुड़े आन्दोलन का आगाज़.....

*यह मांग उठी है केदारघाटी (उत्तराखण्ड) के अगस्त्यमुनि कस्बे से । केदार घाटी में हुए जल प्रलय में अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के विजयनगर, सिल्ली, गंगानगर, पुराना देवल आदि स्थानों में भारी नुक्सान पहुंचा था। बड़ी-भारी संख्या में लोग बेघर हो गए, लोगों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी, होटल, लॉज आदि बह गए। संपन्नता की श्रेणी में आने वाले लोग एक ही रात में सड़क पर आ गये। लोगों को समझ नहीं आ रहा था की यह क्या हो गया? कई लोग बदहवाशी की स्थिति में थे। केदारघाटी में आयी त्रासदी के बाद के हालातों पर पंकज भट्ट का महत्वपूर्ण आलेख;*

उत्तराखंड के पहाड़ और प्राकृतिक आपदाओं का लम्बा इतिहास है। पहाड़ों में लगभग हर साल प्राकृतिक आपदा आती है। बादल फटने, भू-स्खलन जैसी घटनाएं अब आम हो गयी हैं। इन घटनाओं में भारी मात्रा में संपत्ति नष्ट होती है। कई लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। सरकार फौरी तौर पर राहत और बचाव के कार्य करती है। आपदा प्रभावितों को नाममात्र की कुछ मुआवजा राशि वितरित की जाती है और सरकार अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है। पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसके विपरीत सरकार और उसके कर्ताधर्ताओं की मानों लाटरी खुल गयी हो। वो आपदा के नाम पर अधिक से अधिक पैकेज हड़पने के लिए जुट जाते हैं। जिस आपदा के नाम पर सरकारी तंत्र बड़े-भारी बज़ट को ठिकाने लगा देता है, उस आपदा में पीड़ित लोग शरणार्थियों सा जीवन जीने को विवश होते हैं।

यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि इतनी आपदाओं के बावजूद उत्तराखंड में पीड़ितों के विस्थापन व पुनर्वास की कोई ठोस नीति नहीं है और नहीं कभी किसी भी स्तर पर इसकी जरुरत महसूस की गयी। सरकार हो या गैर सरकारी संगठन, बौद्धिक जुगाली करने वाले लोगों आदि तक ने भी इस दिशा में सोचने की कोशिश नहीं की। इसका परिणाम यह रहा कि आपदा पीड़ितों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। जिला प्रशासन विस्थापन व पुनर्वास के नाम पर संवेदनशील गाँवों की भू-गर्भीय जांच करा कर सरकार को भेज देता है। सरकार उस गाँव को विस्थापित होने वाले गाँवों की सूची में डाल कर ठंडे बस्ते में फेंक देती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज प्रदेश में इस श्रेणी में लगभग तीन सौ से भी अधिक गाँव हो गए हैं।

सरकार ने विस्थापन व पुनर्वास के मुद्दे को कभी गंभीरता से

नहीं लिया। राजनैतिक दलों को तो आरोप-प्रत्यारोपों से फुर्सत मिले तो वे इस बारे में सोचें। पीड़ितों की तरफ से भी कभी अपने विस्थापन व पुनर्वास की मांग ठोस तरीके से नहीं उठी। शायद यही कारण रहा की किसी ने भी इसकी जरुरत नहीं समझी। पीड़ितों का हाल ये है की वो सरकार द्वारा दी गयी मुआवजा राशि को पर्याप्त मान कर संतुष्ट हो जाते हैं। पीड़ितों को लगता है की उन्हें जितनी भी मुआवजा राशि मिली है, वह सरकार की कृपा ही है। पीड़ितों को कभी किसी ने यह नहीं बताया की सरकार जो मुआवजा राशि उन्हें दे रही है, वो सरकार की कृपा नहीं बल्कि उनका अधिकार है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, उनके कल्याण के बारे में सोचे। मगर अब पीड़ितों को यह अहसास होने लगा है और पीड़ित अपनी लडाई लड़ने को भी तैयार हो रहे हैं। पीड़ित अपने विस्थापन व पुनर्वास की मांग भी उठाने लगे हैं।

यह मांग उठी है केदारघाटी के अगस्त्यमुनि कस्बे से । केदार घाटी में हुए जल प्रलय में अगस्त्यमुनि नगर पंचायत

के विजयनगर, सिल्ली, गंगानगर, पुराना देवल आदि स्थानों में भारी नुक्सान पहुंचा था। बड़ी-भारी संख्या में लोग बेघर हो गए, लोगों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी, होटल, लॉज आदि बह गए।

कल्पना की जा सकती है की लोगों के जीवन भर की जमा-पूँजी एक झटके में पानी में समा जाए तो उनकी क्या हालत होगी? मगर इस स्थिति के बावजूद कुछ पीड़ित युवाओं ने हालात से निबटने की सोची और लोगों का मनोबल बढाने की कोशिशें की। उन्होंने पीड़ितों को इकट्ठा करना शुरू किया। निराशा छोड़ कर संगठित होने की मुहिम छेड़ी। यह सूत्र वाक्य दिया की जो हो गया, सो हो गया- अब आगे की सोचो। कुछ ही दिनों में इस मुहिम ने रंग लाना शुरू कर दिया। पीड़ितों ने एकजुट होना शुरू किया और अपने हक के लिए लड़ने का ऐलान किया। अलग-अलग राजनैतिक दलों के लोग शायद ही कभी किसी मंच पर एक साथ और एक जुबान में बोलते हुए दिखलाई पड़ते हैं। मगर इस लड़ाई के लिए राजनैतिक निष्ठाओं को ताक पर रख दिया गया। भाजपा, कांग्रेस, उक्रांद जैसी किसी की कोई पहचान नहीं है। पहचान आपदा पीड़ित के रूप में ही दिखती है।

पीड़ितों ने अपनी इस लडाई को लड़ने के लिए केदारघाटी विस्थापन व पुनर्वास संघर्ष समिति (केवीपीएस-2) का गठन किया। संगठन ने पीड़ितों के मुआवजा वितरण से लेकर उनके पुनर्वास व विस्थापन तक के मुद्दे को अपने एजेंडें में शामिल किया। पहली बार आपदा पीड़ितों के विस्थापन व पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो रहे हैं। संगठन आपदा पीड़ितों के विस्थापन व पुनर्वास को पीड़ितों का अधिकार मानते हुए सरकार पर कई स्तरों से दबाब बनाने की कोशिशों में जुटी हुयी है।

केवीपीएस-2 ने पीड़ितों को ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी यह समझाने की कोशिश की कि यह लड़ाई केवल आपदा पीड़ितों की लड़ाई नहीं है। यह पहाड़ के भविष्य की लड़ाई है। आपदा का क्रम हर साल का है। आज यहाँ तो कल वहां। इसलिए लोगों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ने की जरुरत है। संगठन की अपील का असर भी दिखाई पड़ा। लोग एकजुट होने लगे हैं और सरकार द्वारा विस्थापन व पुनर्वास किये जाने को अपना अधिकार समझने लगे हैं। संगठन ने विस्थापन व पुनर्वास की मांग उठाई तो सरकार ने पीड़ितों को प्री-फेब्रिकेटेड घर बना कर देने की घोषणा की। मगर पीड़ितों ने इसका विरोध किया और सरकार की नियत पर कई सवाल खड़े किये। संगठन ने प्री-फेब्रिकेटेड घरों की बजाय पीड़ितों को आर्थिक पैकेज देने की मांग उठाई। शुरुवात में ना-नुकुर के बाद सरकार रेडिमेड घर के बजाय पांच लाख रूपये के आर्थिक पैकेज के मुद्दे पर राजी हो गयी। पर पीड़ित इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है की सरकार आर्थिक पैकेज को और अधिक करे।

संगठन प्रदेश में विस्थापन व पुनर्वास की एक ठोस नीति बनाने को लेकर लगातार संघर्षरत है। संगठन ने इसके लिए बाकायदा हस्ताक्षर अभियान भी छेड़ा। इस अभियान को व्यापक जन समर्थन भी मिला। प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार होने के बावजूद संगठन द्वारा चलाये जा रहे अभियान में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने भी अपने हस्ताक्षर किये। संगठन के अध्यक्ष अजेन्द्र अजय कहते हैं की शुरुआत में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पीड़ितों का मनोबल बनाने की थी, जिसमे उन्हें बहुत हद तक सफलता मिली है। वे मानते हैं की अभी लड़ाई लम्बी है। उनका कहना है की अब समय आ गया है की सरकार जल्द-से-जल्द विस्थापन व पुनर्वास की ठोस नीति घोषित करे। सरकार उनकी इस मांग को अब नज़रंदाज़ नहीं कर सकती है। संगठन ने केदारघाटी में आयी आपदा के सौ दिन पूरे होने पर रुद्रप्रयाग में पीड़ितों की पंचायत भी बुलाई थी। पंचायत में बड़ी संख्या में दूर-दराज के क्षेत्रों के पीड़ितों ने भी भाग लिया। इससे भी संगठन के पदाधिकारी उत्साहित हैं।

केवीपीएस-२ के आन्दोलन को हतोत्साहित करने वालों की भी कमी नहीं है। कई लोग मानते हैं की सालों गुज़र गए, किन्तु अभी तक कई गाँवों के विस्थापन व पुनर्वास की मांग ठंडे बस्ते में पड़ी हुयी है। ऐसे में संगठन द्वारा की जा रही कार्रवाही कितनी कारगर होगी? मगर संगठन ऐसे सवालों से बेफिक्र होकर अपने अभियान में जुटा है और उसे धीरे-धीरे विभिन्न सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। बहरहाल, संगठन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी सफलता मिलती है, यह भविष्य के गर्भ में है। पर संगठन ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है, जो बहुत पहले ही इस आपदाग्रस्त राज्य की नीति में शामिल होना चाहिए था।

# गुजरात

## गुजरात: 'एकता की मूर्ति' हेतु जमीन अधिग्रहण का विरोध

*गुजरात में नर्मदा (सरदार सरोवर बांध) बांधस्थल के नजदीक प्रस्तावित सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची 'एकता की मूर्ति' को इसके आसपास के 70 गांवों के आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गत 2 अक्टूबर को करीब 2000 आदिवासी, आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के नांडोड तालुका के इंद्रवर्ण गांव के नजदीक इकट्ठा हुए और उन्होंने इस क्षेत्र में पर्यटन के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहित किए जाने के सरकारी प्रस्ताव का विरोध किया।*

केवड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) जिसका सन् 2005 में इस क्षेत्र में पर्यटन अधोसंरचना विकास हेतु गठन किया गया था, ने इस वर्ष के शुरू में 54 गांवों की पंचायतों से इस संबंध में सहमति मांगी थी। इनमें से 29 गांव संरक्षित वन क्षेत्र में आते हैं। काडा विरोध मंच जो कि नरेंद्र मोदी के सपनो की परियोजना का विरोध कर रहे लखी भाई का कहना है कि, "काडा ने ग्रामीणों से कहा है कि वे उसके साथ अपनी भूमि की हिस्सेदारी करें। काडा ने यह भी कहा है कि यदि उन्होंने (ग्रामीणों) समय पर उत्तर नहीं दिया तो इसे उनकी सहमति मान लिया जाएगा और उनकी भूमि ले ली जाएगी। अधिकांश ग्राम पंचायतों ने 'इंकार' कर दिया है और उनका कहना है कि वे बजाए नगर नियोजन के अपनी ग्राम पंचायतों के प्रावधानों के अंतर्गत ही विकास करेंगे।"

काडा की योजना है कि वह इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर नियोजन योजना के अंतर्गत ही विकास करे जिससे कि वह होटल, कैंपिंग ग्राउंड, ट्रेकिंग स्थल, रिसोर्ट, वाटर पार्क, गोल्फ कोर्स आदि निर्मित कर सकें। प्रस्तावित 'एकता की मूर्ति' की वजह से पर्यटन में विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए काडा ताबड़तोड़ कार्य करना चाह रहा है। मूर्ति का निर्माण बांध से नीचे की ओर करीब 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु टेकरी पर होगा। उम्मीद है कि इसका कार्य सन् 2014 की शुरुआत में प्रारंभ होगा और यह 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। लेकिन काडा को आदिवासी गांवों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अपनी भूमि नहीं देना चाहते। केवड़िया गांव निवासी विक्रम ताड़वी का कहना है कि, "सरकार को जमीन देना कोई अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने अब तक उन 16 गांवों के किसानों को मुआवजा नहीं दिया है जिनकी जमीनें नर्मदा बांध की वजह से डूब में आ गई थीं। ग्रामीणों को तो अभी तक पूर्व में हुई हानि का ही मुआवजा नहीं मिला है और सरकार विकास के लिए और जमीन चाहती है? हमारा विचार है कि हमें हमारी भूमि का ठीक मुआवजा नहीं मिला। यदि एक बार हमसे हमारी जमीन ले ली तो हम आजीविका कैसे चलाएंगे।''

विरोध कर रहे आदिवासियों ने 'जान देंगे-जमीन नहीं' 'जमीन रोटलो आपे छे', 'आमरो गांव -आमरो राज' और 'विकास जोइये छे ना कि विनाश' जैसे नारे लगाए और काड़ा का विरोध किया।

## मध्यप्रदेश

# जनता के अधिकारों को बहाल करो, चंद्रवंशी पर लगाए फर्जी मुकदमे वापस लो

*आज पूरे भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर कर उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ताज़ा घटना मध्यप्रदेश के किसान संगठन किसान संघर्ष समिति के छिंदवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सज्जे चंद्रवंशी से जुड़ा है. इस घटनाक्रम के विरोध में इंसाफ के महासचिव चितरंजन सिंह द्वारा जारी वक्तव्य;*

बड़ी परियोजनाओं के नाम पर आम जनता को विस्थापित-प्रताड़ित करने वाली बहुराष्ट्रीय पूंजी के खिलाफ और जनता के हक में उसके सच्चे संघर्षों के लिए काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा घटना मध्यप्रदेश के किसान संगठन किसान संघर्ष समिति के छिंदवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सज्जे चंद्रवंशी से जुड़ी है जिन्हें छिंदवाड़ा के संघर्षरत किसानों ने आगामी मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में समिति की ओर से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। चुनाव लड़ना तो दूर, वे चुनाव प्रचार भी ना कर पाएं, प्रशासन ने इसका पहले से ही इंतज़ाम करते हुए चंद्रवंशी को पांच जिलों से जिला बदर करने संबंधी आदेश थमा दिया है। चंद्रवंशी पिछले कई दिनों से चुनाव लड़ने और प्रचार करने के अपने अधिकार के समर्थन में काग़ज़ात लेकर छिंदवाड़ा से भोपाल और दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं।

चंद्रवंशी के ऊपर नौ मुकदमे लगे हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब ज़मीनी स्तर पर किसानों के हक़ में लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत दिन नहीं बीते जब किसानों के लोकप्रिय नेता डॉ. सुनीलम को भी मुलताई गोलीकांड के बरसों पुराने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। चंद्रवंशी के ऊपर लगाए गए मुकदमे भी निराधार और झूठे हैं। सारे विवाद की जड़ में चौसरा का अदानी पावर प्लांट है जिसके खिलाफ यहां के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और चंद्रवंशी उस आंदोलन का स्थानीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं। इसी प्लांट के प्रबंधन और एक ठेकेदार की मार्फत चंद्रवंशी पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। दिलचस्प यह है कि गिरधारी लाल नाम का यह ठेकेदार, जिसे जान से मारने की कोशिश का एक मुकदमा भी चंद्रवंशी पर लगा है, खुद नरसिंहपुर से जिला बदर है और छिंदवाड़ा में रहकर अदानी के मालिकान की शह पर काम कर रहा है। विडंबना यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिल्ली में चंद्रवंशी से हुई मुलाकात में उन्हें मौखिक तौर पर आश्वस्त भी किया है कि वे जिला बदर रह कर भी चुनाव लड़ सकते हैं, बावजूद इसके न तो उनके ऊपर से झूठे मुकदमे हटाने की कोई कार्यवाही अब तक हुई और न ही इस संबंध में कोई निर्देश स्थानीय प्रशासन को भेजा गया है। स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राजनीति सब कुछ अदानी के इस पावर प्लांट से ही संचालित हो रहे हैं।

यह स्थिति अकेले मध्यप्रदेश या चंद्रवंशी जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं है। इससे पहले डॉ. सुनीलम का मामला काफी चर्चित हुआ था और उसी दौरान झारखंड में आदिवासियों के लिए संघर्ष करने वाली कार्यकर्ता दयामनी बरला को भी झूठे मुकदमे के तहत जेल में डाल दिया गया था। देश में जहां कहीं जल, जंगल और ज़मीन के आंदोलन चल रहे हैं, वहां स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक ताकतों और पूंजी की साठगांठ के ऐसे ढेरों मामले पड़े हुए हैं। विडंबना देखिए कि एक ओर सरकार भागीदारी वाले स्वच्छ लोकतंत्र की बात करते हुए दागी नेताओं के खिलाफ अध्यादेश पारित करती है, तो दूसरी ओर ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नेता बनने से रोकने के लिए पहले ही उन पर झूठे मुकदमे लादकर समाज की नज़रों में दागी बना देती है। इस तरह कुल मिलाकर कोशिश यह की जाती है कि मुख्यधारा की संसदीय राजनीति में किसी भी तरह वे लोग न आने पाएं जो जनता के वास्तविक हितों की बात करते हैं और जिनसे पूंजी के हितों का टकराव होता हो। इस तरह यह लोकतंत्र पैसे वाले कुछ चुनिंदा ताकतवर लोगों का बंधक बनकर रह जाता है।

संविधान की मूल भावना व अधिकारों के आधार पर वास्तविक लोकतंत्र को बहाल करने तथा आभासी ही सही लेकिन चुनावों की गरिमा को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार और पूंजी की इस साठगांठ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और सज्जे चंद्रवंशी जैसे ईमानदार कार्यकर्ता के चुनाव लड़ने व चुनाव प्रचार करने के हक को उन्हें लौटाया जाए। हम सभी सरोकारी जन सरकार से यह अपील करते हैं कि सज्जे चंद्रवंशी के ऊपर लादे गए फर्जी मुकदमे तत्काल हटाए जाएं और जिला बदर का निर्देश वापस लिया जाए। साथ ही उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाकर उन्हें दंडित किया जाए जो सरकार से वेतन लेकर एक निजी कंपनी के हित में काम कर रहे हैं।

# भोपाल गैस त्रासदी की 29वीं बरसी: जन प्रतिरोध बनाम कारपोरेट दमन

3 दिसम्बर को भोपाल गैस त्रासदी की 29वीं बरसी पर मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया गया. इस मोके पर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, रघु राय, को. गोतम मोदी, मग्लेश डबराल, निखिल डे, भूपेंद्र सिंह आदि वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं;

ज्ञातव्य हैं कि 3 दिसम्बर 1984 भारतीय इतिहास का बहुत ही दुखद दिन है – जब भोपाल दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिकीय त्रासदी का साक्षी बना जिसमें तक़रीबन 20,000 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए. इस खतरनाक गैस के लीक होने से करीब पांच लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई और इस घटना के कारण अट्ठाईस साल बाद भी भोपाल में हर दिन एक मौत हो रही है. इस हादसे के लिए दोषी यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन कम्पनी का 2001 में डाउ केमिकल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन डाउ केमिकल ने भोपाल गैस पीडितों को किसी भी तरह का मुआवजा देने की जिम्मेदारी से इंकार कर दिया है. जैसा कि स्टूडेंट फॉर भोपाल की बेबसाईट में दिया गया है : डाउ केमिकल लगातार भोपाल गैस त्रासदी के लिए जबावदेह बनने से इंकार करता रहा है. इसके अलावा, डाउ ने अमेरिका में ऐसे ही त्रासदी से ग्रसित लोगों के लिए तत्काल समुचित कार्यवाही की और भोपाल गैस पीडितों के लिए डाउ के जनसम्पर्क अधिकारी ने कहा कि "500 यूएस डॉलर भारतीयों के लिए पर्याप्त हैं. (काथी हंट, 2002)

भोपाल गैस पीडितों के लिए समुचित मुआवजे के लिए सालों से संघर्ष चल रहा है, साथ ही लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डाउ केमिकल पर इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बनाने के प्रयास चल रहे हैं, हम आज भी इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसी) के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए लोगों के हितों की वृहद स्तर पर अनदेखी करने वाले अमानवीय दुष्कृत्यों के गवाह हैं. भोपाल में जो हादसा हुआ वह किसी एक कार्पोरेशन द्वारा अपने कुकृत्यों के लिए जिम्मेदारी लेने से इंकार करने का कोई एक मामला है. वैश्विक जगत में

नवउदारवाद के नाम पर जन आंदोलनों को कुचलकर, प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, पानी, खनिज, जंगल, तेल आदि पर कब्जा करके कारपोरेट शक्तियों के उदय में यह सब दिखाई दे रहा है और दुनिया भर की सरकारों को इसमें शामिल कर कुछ अमीरों के हाथ में सत्ता केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां समय के साथ इतनी अधिक ताकतवर हो गयीं हैं कि उनकी वार्षिक आय कई देशों के  उत्पाद से भी ज्यादा है और सरकार के साथ उनकी सांठगांठ अब उन्हें उस देश के नागरिकों के हितों की बजाय इन कारपोरेट के हितों के मुताबिक राज्य के मुद्दों और नीतियों को बनाने में अपनी दखल देने लगे हैं. हम दो मामलों में यह अच्छी तरह देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय सरकार ने पिछले दो दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों (पीएसयूस) से अपना निवेश निकाल कर मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि का निजीकरण किया है. कार्पोरेशन यह भ्रान्ति फ़ैलाने में माहिर हैं कि वे जनहित में बेहतर काम करते है, लोगों की जरुरत के मुताबिक उन्हें चीजें और सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, अधिक क्षमता के साथ उनका ऑपरेशन कर सकते है, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था में जीडीपी को जोड़ते हैं और समाज को चलाने के लिए कार्पोरेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है. मुख्यधारा के मीडिया की मालकियत से यह बात और पुख्ता होती है और उनकी बड़ी बड़ी जेबें यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकारें उन्हें हर तरह का सहयोग देंगीं जिसमे उस देश की सेना और पुलिस भी शामिल होगी जो कार्पोरेट्स के अबाधित व्यवसाय को बनाये रखने में सहयोग देंगे.

जो लोग अपनी जमीन और आजीविका बचाने के लिए इन कार्पोरेशन के विरोध में आवाज उठाने वाले देश भर के हजारों लोगों के जन-आंदोलनों को अक्सर राज्य और मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है और उन्हें आधुनिक भारत के विकास के विरोधी के रूप में देखा जाता है. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'बिजिनेस- फ्रेंडली' माहौल बनाने के नाम पर आदिवासियों, किसानों, फैक्टरी कर्मचारियों, शहरी बस्तियों में रहने वाले लोगों के संघर्षों के विरुद्ध कार्पोरेशन के द्वारा किये जा रहे कुकृत्यों को दबा दिया जाता है जबकि  हरेक वर्ग के ऊपर और आने वाली पीढिओं पर भी पड़ता है.

कारपोरेट जबावदेही के दिखावे के बावजूद भोपाल गैस त्रासदी के मामले में डाउ केमिकल पीड़ितों को मुआवजा देने से इंकार कर रहा है, ताकि अपने शेयरधारकों को अधिक से अधिक लाभ देना जारी रख सके. कार्पोरेशन के लिए 'जवाबदेही' शब्द एक गाली की तरह है, न वे उस समुदाय के प्रति खुद को

जवाबदेह मानते हैं जहाँ वे काम कर रहे हैं और न ही राज्य के प्रति. कार्पोरेशन अपनी जवाबदेही को अपने शेयरधारकों को बेच देता है, जिन्हें कार्पोरेशन के चलाने से पैदा होने वाली बाहरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा पाने के लिए कार्पोरेशन में अपना निवेश ज्यादा करते हैं. लोगों, समुदायों और पर्यावरण के प्रति बड़ी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, और कार्पोरेशन के हाथ 'टिकाऊ विकास' (sustainable development) शब्द के नाम पर जन सम्पर्क का एक ऐसा उपकरण हाथ लग गया है जिसके आधार पर यह दावा करते हैं कि वे लोगो और समुदाय के लिए लंबे समय के स्थायित्व के लिए बहुत अधिक चिंतित हैं. भारत के संदर्भ में,कार्पोरेशन द्वारा पर्यावरणीय नियमों की गम्भीर रूप से अनदेखी किये जाने के साथ ही मानव अधिकारों और श्रमिकों के अधिकारों के हनन के बहुत से उदाहरण हम सुनते हैं.

वर्तमान समय में, "कारपोरेट सामाजिक दायित्व'' के नाम पर कार्पोरेट्स बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं. जिसकी बहुत से जन आंदोलनों द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है , क्योंकि इससे कार्पोरेशन को उनके कामों से उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बच निकलने का आसान उपाय मिल जाता है. कार्पोरेट्स लोगों के बीच अपनी झूठी तस्वीर को बनाते हैं कि उन्हें ही गरीबों के सामाजिक कल्याण की बहुत फिक्र है. यदि कारपोरेशन सचमुच सामाजिक कल्याण के लिए फिक्रमंद हैं तो उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन प्रतिरोधों के विरुद्ध नहीं , बल्कि उन मुद्दों के लिए करना चाहिए जो इंगित किये जाएँ और यह सुनिश्चित करना चाहिए पर्यावरण और लोगों की कीमत पर उनके काम नहीं होना चाहिए. हालाँकि कुछ लोगों का कहना है कि राज्य द्वारा बनाये नियमों के मुताबिक चलाए जाते हैं अतः सरकारों का यह दायित्व है कि वे कारपोरेटों को राज्य के प्रति जवावदेह बनाये ना कि कारपोरेटों के प्रति. हालाँकि, इस दिशा में राज्य और कार्पोरेशन के बीच गठजोड़ और बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस तरह के तर्कों पर बहुत कम विचार करते हैं, इससे राज्य के लिए यह उम्मीद करना बहुत मुश्किल है कि कार्पोरेशन लोगों के हितों के लिए चलाये जायेंगे.

भोपाल वासियों का यह संघर्ष डाउ केमिकल्स के विरुद्ध या दूसरे आंदोलन जैसे नियमगिरी के आदिवासियों का वेदांता के खिलाफ संघर्ष, प्लाचीमाडा गाँव के लोगों का कोका-कोला के खिलाफ, जगतसिंहपुर के गांववालों का पोस्को के खिलाफ संघर्ष, मारुती सुजुकी के खिलाफ फैक्ट्री कर्मचारियों का, मानसेंटो के खिलाफ किसानों का संघर्ष आदि एक कॉर्पोरटीकरण सोच एवं सरकार और समाज के कॉर्पोरटीकरण के खिलाफ है. इसलिए वृहत कार्पोरेटी संरचना की गैर जवाबदेह पूर्ण शक्ति से निपटने की हिम्मत की जरुरत है, क्योंकि उनपर निशाना साधने वाले किसी भीं तरह के प्रतिरोध को खत्म करने के लिए वे अपने दवाब और पैसे की ताकत का इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ ही किसी एक कारपोरेट को लक्षित करने वाले स्थानीय संघर्ष भी उनकी आर्थिक वृद्धि को कमज़ोर कर पाने में सफल हुए हैं, जरुरत है हम सभी एक साथ इन लाभ के भूखे निगमों (कार्पोरेशंस) के खिलाफ खड़े हों ताकि लोगो की आवाज़ कई दफ़ा गूंजें और जिससे लोगों और पर्यावरण की कीमत पर सरकार इनका पक्ष लेने पर मजबूर हो. जरूरत इस बात की भी है कि हमारे आंदोलन और संघर्षों के आधार पर कॉर्पोरटीकरण का विकल्प ढूँढे ताकि ऐसे भविष्य का सपना साकार हो सके जो कॉर्पोरशंस के प्रभावो से मुक्त हो. इन शक्तिशाली कार्पोरेशंस के अन्याय से पीड़ित लोगों के साथ और भोपाल गैस पीड़ितों के न्याय के संघर्ष के लिए हम जन आंदोलन पूरे साथीभाव के साथ एक हैं.

# इंदिरा सागर बांध: 5 विधान सभा क्षेत्रों में सभी प्रमुख प्रत्याशियों द्वारा प्रभावितों के पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत

मध्य प्रदेश के विधान सभा चुनावों के पूर्व इंदिरा सागर प्रभावितों ने नर्मदा बचाओ आन्दोलन के तहत डूब प्रभावित क्षेत्र की 5 विधान सभा सीटों मान्धाता, हरदा, खातेगांव, बागली व् हरसूद के लिए 4 लोकमंचो का आयोजन किया. इन लोकमंचों में जहाँ एक ओर हजारों प्रभावितों के समक्ष सार्वजनिक रूप से प्रत्याशियों से इंदिरा सागर प्रभावितों के पुनर्वास के बारे में सतत संघर्ष के बारे में प्रतिबद्धता मांगी गयी थी, वहीँ दूसरी ओर सभी प्रत्याशियों से इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा गया. 24 नवबंर तक इन सभी विधान सभा क्षेत्रों के अधिकांश प्रमुख प्रत्याशियों के शपथ पत्र प्राप्त हो गए हैं.

**हरदा विधान** सभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्री कमल पटेल, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राम किशोर दोगने, समाजवादी जन परिषद् की सुश्री शमीम मोदी और निर्दलीय प्रत्याशी श्री राजेंद्र पटेल के शपथ पत्र प्राप्त हो गए हैं.

**खातेगांव विधान** सभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री श्याम होलानी और भाजपा के प्रत्याशी श्री आशीष शर्मा के शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं.

**मान्धाता विधान** सभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री नारायण पटेल के शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं.

**बागली विधान** सभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री तेरसिंह देवड़ा और भाजपा के प्रत्याशी श्री चम्पालाल देवड़ा के शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं.

**हरसूद विधान** सभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सूरज भानु सिंह सोलंकी और बहुजन समाज पार्टी के श्री विजय सिंह उइके के शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं.

इस प्रकार लगभग सभी प्रमुख दलों के सभी प्रत्याशियों ने इंदिरा सागर प्रभावितों के मुद्दों को समर्थन देते हुए शपथ पत्र देकर उनपर निष्ठापूर्वक लगातार कार्य करने की प्रतिबद्धता दिखायी है.

उल्लेखनीय है कि नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा 18 से 21 नवम्बर के बीच ग्राम नंदाना, उंवा, मालूद व् दगडखेडी में 4 जगह लोकमंचों का आयोजन किया गया था. इन आयोजनों के समय सभी प्रत्याशियों से इंदिरा सागर प्रभावितों से जुड़े मुद्दों पर शपथ पत्र माँगा गया था. लोकमंचों में लोगों ने हजारों की संख्या में भाग लेकर अपने अधिकारों के प्रति उम्मीदवारों को जवाबदेह बनाने का प्रयास किया. लगभग सभी प्रत्याशियों से सार्वजनिक प्रतिबद्धता और शपथ पत्र प्रस्तुत करना लोकमंचों की सफलता सिद्ध करता है.

नर्मदा बचाओ आन्दोलन अपील करता है कि सभी लोग जागरूकता के साथ सोच समझकर अपना मत दें. आपका मत आपके और देश के भविष्य का निर्माण करता है.

# परमाणु विरोधी आंदोलन तेज करने के लिए एकजुट हो!

*परमाणु ऊर्जा विरोधी जन पहल (Peoples Initiative Against Nuclear power) की ओर से भोपाल में 1 दिसंबर 2013 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया । जैसा कि आप जानते है कि भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 की दरम्यान बहुराष्ट्रीय कंपनी 'यूनियन कार्बाइड' से जहरीली गैस रिसाव का हादसा हुआ था। यह सम्मेलन उसकी 29वीं वर्षगांठ के ठीक पहले आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में जारी किया गया परमाणु ऊर्जा के विरूद्ध जनता का आव्हान पत्र;*

1. हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब मौसम की विश्वव्यापी विपदा का खतरा अत्यन्त खतरनाक ढंग से बढ़ते जा रहा है। इस हकीकत को उजागर करते हुए ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक आंकड़े सामने आ रहे हैं कि दुनिया पर्यावरणीय विपदा के दौर में प्रवेश कर चुकी है जिसकी शुरूआत विभिन्न कारणों से पहले ही हो चुकी थी, जिसमें ऊर्जा के उत्पादन और परमाणु हथियारों के लिए परमाणु ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से होने वाला विकिरण और पर्यावरण को हो रही क्षति का कारण भी शामिल रहा है। यह परिस्थिति मांग कर रही है कि तकनीकी विकास के मौजूदा स्तर को देखते हुए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की पूर्ण रूप से पुनः समीक्षा की जाए।
2. जहां चेर्नोबील परमाणु संयंत्र के हादसे ने परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से उत्पन्न खतरे के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर बहस को जन्म दिया था, वहीं जापान के फुकूशिमा हादसे ने सभी 'विकसित' देशों में परमाणु ऊर्जा विरोधी आन्दोलन को इस हद तक तीव्र कर दिया है कि इसमें से करीब.करीब सभी देशों ने नये परमाणु संयंत्रों के निर्माण को पूर्णतः रोकने का निर्णय लिया है। इन सभी देशों ने अपने सभी मौजूदा परमाणु संयंत्रों को भी बन्द करना शुरू कर दिया है और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करने लगे हैं। इस तरह के कदम उठाकर 'विकसित' देशों ने यह स्वीकार कर लिया है कि परमाणु तकनीक के विकास के मौजूदा स्तर और परमाणु कचरे के निपटारे की लागत को देखते हुए परमाणु ऊर्जा के रास्ते पर चलना तकनीकी और आर्थिक रूप से सुरक्षित और व्यवहारिक नहीं है। इन देशों में पूर्ण रूप से परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए आन्दोलन भी गति पकड़ रहा है।
3. 'विकसित' देशों में नये परमाणु संयंत्रों के निर्माण पर रोक तथा बड़ी संख्या में चालु परमाणु संयंत्रों को बन्द करने से परमाणु संयंत्र की तकनीक और परमाणु ईंधन समेत रिएक्टरों की आपूर्ति करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत जैसे देशों पर, जो आई.एम.एफ., विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों जैसी साम्राज्यवादी एजेन्सियों पर निर्भर हैं, दबाव डालने का प्रयास तेज कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप संप्रग सरकार ने वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक व पर्यावरण से जुड़े विपरीत पहलुओं पर गंभीरता से विचार किए बिना ही बड़ी संख्या में परमाणु संयंत्रों के निर्माण की राह आसान करने के लिए अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया और परमाणु जवाबदेही कानून के प्रावधानों को हल्का बनाया। केवल मात्र इन परमाणु संयंत्रों के विरूद्ध जनता के आन्दोलनों के कारण ही सरकार अब तक इन नये 'बेआवाज परमाणु बमों' को उन पर थोपने में कामयाब नहीं हो सकी है। इस संदर्भ में, मध्य प्रदेश में चुटका परमाणु परियोजना के लिए इस वर्ष पहले मई और फिर जुलाई में तथाकथित जन सुनवाई को परास्त करने में ताकतवर जन आन्दोलन की हालिया विजय उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र के जैतापुर में, गुजरात के मीठी वर्दी में, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में, आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कोवाड में प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रस्तावित अन्य परमाणु परियोजनाओं के खिलाफ भी जनता निरंतर संघर्षरत है। नतीजे में, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित में किसी भी कीमत पर नये परमाणु संयंत्रों को थोपने के लिए की जा रही जोड़ तोड़ अब तक फलीभूत नहीं हो सकी है।

4. लेकिन, जनता के हितों के विरूद्ध जाकर, सितम्बर में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, अमेरिकी प्रशासन की हुक्मशाही के समक्ष समर्पण करते हुए प्रधानमंत्री परमाणु जवाबदेही कानून को हल्का बनाने के लिए राजी हो गए और गुजरात के मीठी वर्दी परियोजना के लिए वेटिंगहाउस रिएक्टरों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। कुडनकुलम संयंत्र सहित और भी परमाणु रिएक्टरों के लिए रूस के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। फ्रान्स के साथ अरेवा परमाणु रिएक्टरों के लिए और जापान के साथ परमाणु कलपुर्जों के लिए जल्दबाजी में समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है, जबकि लोक सभा चुनाव काफी करीब हैं। न तो भाजपा और न ही कोई भी अन्य प्रमुख पार्टी इन कदमों के खिलाफ आवाज उठा रही है क्योंकि ये सभी साम्राज्यवादी शक्तियों और बहुराष्ट्रीय निगमों को संतुष्ट करने और जनता के ऊपर खतरनाक परमाणु संयंत्र लादने के लिए एकजुट हैं।
5. पिछले कुछ दशकों का अनुभव, जिसमें 'वैश्विक गरमाहट' जैसी घटना भी शामिल है, पर्यावरण विनाश के बढ़ते खतरे को दर्शा रहा है। यह बात बारम्बार साबित हुई है कि परमाणु तकनीकी का वर्तमान विकास जिस स्तर तक हुआ है वह चेर्नोबील और फुकुशीमा जैसे हादसों और परमाणु कचरे के निपटारे की समस्या का हल दे पाने में अक्षम है। जब परमाणु संयंत्र, यूरेनियम खदान और परमाणु हथियार पर्यावरणीय विपदा के खतरे को और ज्यादा तीव्र कर रहे हैं, तो यह सभी चिंतनशील तबकों, देश भर में परमाणु विरोधी आन्दोलन में पहल कर रहे सभी लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वे आपस में हाथ मिलाएं और क्रमशः सभी सरकारों द्वारा जिस प्रतिगामी परमाणु नीति का अनुशरण किया जा रहा है उसका प्रतिरोध करने के लिए शक्तिशाली देशव्यापी आन्दोलन छेड़ें। पर्यावरणीय विपदा के बरक्स मानव जाति के अस्तित्व के लिए संघर्ष में इस आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहे परमाणु विरोधी और पारिस्थितिकी आन्दोलन का भी हिस्सा बनना है।
6. इस पृष्ठभूमि में, भोपाल में 1 दिसम्बर को आयोजित अखिल भारतीय परमाणु ऊर्जा विरोधी सम्मेलन उन सभी संगठनों और व्यक्तियों से, जो परमाणु ऊर्जा के विरूद्ध लड़ रहे हैं, यह मांग करने और इसके लिए समझौताहीन संघर्ष करने के लिए एकजुट होने की अपील करता है:

- सभी प्रस्तावित नये परमाणु संयंत्रों को रद्द करो।
- सभी मौजूदा परमाणु संयंत्रों को बन्द करो।
- सभी मौजूदा एवं प्रस्तावित यूरेनियम खदानों को बन्द करो।
- सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करो और सार्वभौमिक पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करो।
- वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का विकास करो तथा;
- जनपक्षीय ऊर्जा नीति समेत विकास का वैकल्पिक प्रतिमान तैयार करो ।

# ग्रामीणों ने महान जंगल पर जताया अपना अधिकार

**सिंगरौली, 5 दिसंबर 2013। महान जंगल पर अपने अधिकार के लिए आंदोलनरत स्थानीय लोगों ने अपने संघर्ष को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महान जंगल पर वनाधिकार कानून 2006 के तहत अधिकार लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति अमिलिया ने उप-खंड स्तरीय समिति तथा अनुविभागीय अधिकारी वनाधिकार समिति सिंगरौली से वनाधिकार कानून के तहत महान जंगल के बारे में जानकारी और दस्तावेजों की मांग की है।**

वन अधिकार समिति अमिलिया के अध्यक्ष हरदयाल सिंह ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी वनाधिकार समिति सिंगरौली के पास आवेदन देकर वन अधिकार अधिनियम 2 के नियम 12(4) के अनुसार जानकारी, अभिलेख एवं दस्तावेज की अधिप्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध किया है।

अमिलिया ग्राम वनाधिकार समिति ने उप-खंड स्तरीय वनाधिकार समिति को लिखे पत्र में मांग की है कि उन्हें वे कागज मुहैया कराये जायें जो उनका महान जंगल पर निर्भरता को साबित करता हो तथा जिससे उन्हें वनाधिकार कानून को हासिल करने में मदद मिले। ग्राम वनाधिकार समिति के इस कदम से महान जंगल क्षेत्र में कोयला खदान आवंटन के दूसरे चरण की पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रयासरत राज्य सरकार व महान कोल लिमिटेड को झटका लगा है। इस कोयला खदान के आने से अमिलिया सहित 14 गांवों के लोगों की जीविका खतरे में पड़ जायेगी।

महान संघर्ष समिति की सदस्य तथा ग्रीनपीस की सीनियर अभियानकर्ता प्रिया पिल्लई सामुदायिक वनाधिकार के दावे के लिए शुरू की गयी कानूनी प्रक्रिया को अमिलिया के गांव वालों के संघर्षों की जीत बताती हैं।

वे कहती हैं कि ''ग्रामीण सामुदायिक वनाधिकार की पहचान के लिए दावा कर सकते हैं। पहले चरण के अंतर्गत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उप-खंड स्तरीय वनाधिकार समिति से संबंधित कागजात की मांग की गई है, जिसमें सभी तरह के ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं जिससे उनके दावे को साबित करने में मदद मिलती है''।

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उप-खंड स्तरीय वनाधिकार समिति को वनाधिकार कानून के तहत जंगल का नक्शा, निस्तार पत्र और वन संसाधन की योजना से जुड़े अन्य दस्तावेजों की मांग से संबंधित पत्र भेजा गया है। उप-खंड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सारी सूचनाओं के मुहैया करा देने के बाद ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति अमिलिया जरुरी कागजातों के साथ सामुदायिक वनाधिकार दावे के लिए फॉर्म भरेगी। इसके बाद फॉर्म को ग्राम सभा द्वारा जांची जाएगी। जांच के बाद फॉर्म को उप-खंड स्तरीय वनाधिकार समिति को सौंप दिया जाएगा और फिर अंत में फॉर्म जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले जिला स्तरीय समिति में भेजा जाएगा। जिला स्तरीय समिति सामुदायिक वनाधिकार के दावे को स्वीकार कर अमिलिया ग्राम सभा को इस संबंध में पत्र प्रदान करेगी।

वनाधिकार समिति अमिलिया के अध्यक्ष हरदयाल सिंह उम्मीद जताते हैं कि उप-खंड स्तरीय वनाधिकार समिति जल्द ही सारे कागजात को मुहैया करा देगी जिससे सामुदायिक वनाधिकार दावे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। वे कहते हैं कि ये दस्तावेज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें अपने महान जंगल पर सामुदायिक अधिकार के दावे को मजबूती प्रदान होगी। मेरा पूरा गांव महान जंगल पर निर्भर है जिसे कोयला खदान के लिए देना प्रस्तावित है। महान संघर्ष समिति मेरे गांव में वनाधिकार कानून को लागू करवाने के लिए प्रयासरत है।

# हरियाणा

## जमीन अधिग्रहण के विरोध में दस लोगों ने मांगी इच्छा मृत्यु

18 नवंबर 2013 को हरियाणा के पानीपत जिले के गांव कुंडल में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमे आईएमटी भूमि अधिग्रहण के विरोध में दस गांवों के किसानों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया हैं।

पंचायत में सर्वसम्मति से दस गांवों की जमीन को नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत शामिल नहीं करने तक कब्जा नहीं देने का फैसला लिया गया। पंचायत में महिलाओं ने भी शिरकत की। महिलाओं सहित दस ग्रामीणों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की हैं।

किसानों ने फैसला लिया कि किसानों द्वारा उक्त भूमि पर फसल की रोपाई की गई है, उसे किसी भी सूरत में उजाड़ने नहीं देंगे। नई भूमि अधिग्रहण में शामिल न किए जाने के विरोध में निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। इस संघर्ष में अगर किसान की जान जाती है तो प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपये मुआवजा देना होगा और मृतक का उसके गांव में बुत भी लगाना होगा। अगर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती है तो दस गांवों के किसान चंदा उगाही कर पीड़ित किसान के परिवार को 25 लाख रुपये की राशि देंगे और गांव में अपने खर्च पर उसका बुत भी लगाएंगे। इसके बाद सरकार को सबक सिखाया जाएगा।

**उपजाऊ भूमि का न करें अधिग्रहण : चोटीवाल**

भारतीय किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र चोटीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियों को अपनाकर किसानों को उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण रोकना चाहिए। दूसरी तरफ जो भूमि आईएमटी के लिए चयनित की गई है उसका मुआवजा नई भूमि अधिग्रहण नीति के मुताबिक दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को हक नहीं बनता कि वे फसल को उजाड़ें।

**जमीन हड़पने की साजिश**

18 नवंबर 2013 को गांव कुंडल में हुई पंचायत में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए उन्हें बदलने की मांग की। फसलों को उजाड़ने का विरोध जताते हुए गांव की 6 महिलाओं और 4 पुरुषों ने राष्ट्रपति व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रजिस्ट्री व ई-मेल के जरिये इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है। कुंडल गांव से सोमवती, कमलेश, शकुंतला, शीला, राजवंती, बंसीलाल, हरीचंद, सुरेंद्र व नवीन का कहना है कि प्रदेश सरकार दस गांव के किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। किसानों की भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया है, इसलिए किसानों को नई नीति के अनुरूप मुआवजा वितरित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने किसानों की जमीन को नई भूमि अधिग्रहण नीति में शामिल नहीं किया है।

**इतनी जमीन का अधिग्रहण**

सरकार ने आईएमटी विकसित करने के लिए क्षेत्र के दस गांवों की 3303 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें से 500 एकड़ जमीन के मालिक किसानों ने कोई आपत्ति नहीं की। वहीं, बाकी जमीन पर किसान उस पर लगे ट्यूबवेल, कमरों, पेड़ों आदि के भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

# ओडिशा

## पोस्को: बर्बर दमन व छल के बीच जारी है प्रतिरोध, अभय साहू जेल से रिहा

ओडिशा में आज की तारीख में पोस्को विरोधी आंदोलन एक अहम आंदोलन है तथा सरकारी दमन, पोस्को कंपनी की गुण्डावाहिनी एवं कंपनी के दलालों के साझे हमलों का सामना कर रहा है। अभी हाल ही में ओडिशा में आये तूफान फैलिन की वजह से पटना गाँव में 2011 से जारी अनिश्चितकालीन धरना स्थगित करना पड़ा क्योंकि तूफान की वजह से हुई तबाही से निपटना है. पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के अगुआ कामरेड अभय साहू व बम विस्फोट में घायल लक्ष्मण परमानिक को भुवनेश्वर हाईकोर्ट से 30 नवम्बर 2013 को पटना गांव में तीन मार्च को हुए विस्फोट के सिलसिले में दर्ज केस में जमानत मिल गई है. लेकिन अभी भी पी पी एस एस के तीन साथी जेल में हैं.

पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति (पी पी एस एस) के साथी प्रशांत पैकरा बताते हैं कि कामरेड अभय साहू व लक्ष्मण परमानिक के जेल से रिहा होने व आंदोलन की आगे की रणनीति के लिए 8 दिसम्बर 2013 को ढिंकिया, नुवागांव, गढ़कुजंग के पंचायत के लोगों ने पटना गाँव में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमे निम्न प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए -

- फ़रवरी में ढिंकिया से भुवनेशवर तक पदयात्रा
- जनवरी में पुलिस कैंप पर आम सभा
- पटना में पुन: धरना शुरू करना
- भुवनेश्वर में एक बड़ी सभा का आयोजन
- नियमगिरि से ढिंकिया तक यात्रा

अभी तक भूमि अधिग्रहण की स्थिति यह है कि सरकार ने 2011 में ढिंकिया व नुवागांव पंचायत की 2000 बीघा वन भूमि का अधिग्रहण किये जाने की बात की. इस वर्ष जुलाई माह में सरकार ने कहा की गोविन्दगढ़ की 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर

लिया गया है जबकि हक़ीकत यह है अभी तक सरकार से इस भूमि पर कब्ज़ा नहीं कर पाई है.

प्रशांत पैकरा आगे बताते हैं कि सरकारी दमन का यह हाल है कि 2000 लोगों के ऊपर 250 मामले दर्ज कराये गये हैं, अकेले अभय साहू के ऊपर 60 मामले दर्ज हैं और पुलिस का तो यहां तक कहना है कि उनके ऊपर 75 मामले हैं, 29 नवंबर 07 को धरना दे रहे आंदोलनकारियों पर बम फेंका गया . साइकिलों. मोटरसाइकिलों को जलाया गया . यह सब कंपनी के गुण्डे कर रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी थी, गांवों में पुलिस ने घुसकर स्कूलों को अपनी छावनी बना लिया (दिसंबर 2007), 20 जून 2008 को कार्यकर्ताओं पर बम से हमला किया गया जिसमें डूला मण्डल मारे गये। इन सारे हमलों को कंपनी की गुण्डावाहिनी ने अंजाम दिया तथा उन्हें पुलिस का पूरा समर्थन प्राप्त था। पैकरा का कहना है कि फिर भी आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। डूला मण्डल की तेहरवीं में 4000 लोग इकट्ठा हुए, वामपंथी नेता भी आये, मण्डल की मूर्ति लगायी गयी, मण्डल की पत्नी सविता एवं उनके तीन बच्चों की जिम्मेदारी पी.पी.एस.एस. निभा रहा है।

# लोअर सुकतेल बांध : राष्ट्रपति से परियोजना रद्द करने की मांग

*ओडिशा के बोलांगीर जिले में प्रस्तावित लोअर सुकतेल बांध को रद्द करने की मांग को लेकर स्थानीय आदिवासी पिछले 12 साल से संघर्षरत है. आदिवासियों ने मांग की कि बिना विस्थापन, बिना जंगल नष्ट किए यदि परियोजना हो सकती है तो अवश्य किया जाए। आदिवासी संघ के वक्ताओं ने तर्क दिया कि चेक डेम, लिफ्ट इरीगेशन, डीप बोरवेल, निशुल्क बिजली आदि की व्यवस्था करके भी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 10 दिसंबर 2013 लोअर सुकतेल बूढी आँचल संग्राम परिषद की ओर से मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जल सचिव को ज्ञापन भेजा गया;*

प्रति,
राष्ट्रपति
नई दिल्ली,

विषय : लोअर सुकतेल में बन रहे बड़े बांध को पूर्ण रूप से रद्द करने बाबत!

महोदय, लोअर सुकतेल बूढी आँचल संग्राम परिषद की ओर से आज दिनांक 10 दिसंबर, 2013 मानव अधिकार दिवस में हार्दिक शुभेच्छा।

प्रस्तावित लोअर सुकतेल बृहत जलयोजना से 26 गांव के लोग प्रभावित होंगे, यही नहीं इसके बदले प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका संकट में होगी। इसके साथ ही 5 हजार से ज्यादा लोगों की जीवनधारा मूल रूप से स्थानीय प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगी। इसके अलावा जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन सब की सुरक्षा व स्थानीय लोगों के स्थायी जीवन और आजीविका के संरक्षण के लिए सन् 1997 से आज तक करीब 15 साल से इस प्रकल्प का हम संपूर्ण रूप से विरोध करते आ रहे हैं, अपनी इस मांग को हम इस पत्र के माध्यम से आपकी जानकारी में भी ला रहे हैं।

आज विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आपको फिर एक बार जानकारी दे रहे हैं कि प्रस्तावित लोअर सुकतेल परियोजना के आसपास जो गांव समूह हैं वे अपनी समृद्ध कृषि, उर्वरा मिट्टी, जैव विविधता, घने जंगल और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं। यह क्षेत्र लघु वनजात वस्तुओं से जिला व राज्य के लिए सबसे ज्यादा राजस्व कमा रहा है, जिला व जिला के बाहर कृषिजात वस्तुओं की उपज का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसकी वजह से इस क्षेत्र को जिला का सब्जी फार्म कहते हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर लाभ के बदले नुकसान ज्यादा होगा। बहुत सारे सरकारी और असरकारी संगठनों ने भी इस क्षेत्र के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।

इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की ओर से इस क्षेत्र के लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया गया है। परियोजना की मंजूरी लेने से पहले डूब क्षेत्र के लिए किसी से भी कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। आज तक परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारे गांवों में 4(1) नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। दुःख इस बात का है कि कुछ प्रशासनिक प्रायोजित दलालों के माध्यम से डूब क्षेत्र में नियमों को ताक में रख कर जमीन की खरीद-फरोख़्त की जारी है। बहुत सारे गांवों में वोटरों की संख्या में चार गुनी बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि बोलांगिरि में सरकार द्वारा प्रायोजित एक संगठन परियोजना के पक्ष में भ्रान्ति फैलाकर लोगों का समर्थन जुटाने का काम कर रही है। अपनी आजीविका के संरक्षण के लिए जब हम शांतिपूर्ण ढंग से कोई अभियान चलाते हैं तो जिला प्रशासन पुलिस की मदद से हमारे अभियान को दबा रहा है। निर्मम रूप से निरीह जनता, महिला, बच्चों तथा वृद्धजनों पर लाठीचार्ज करता है और पकड़ कर जेल में डाल

देता है। कभी-कभी हमको डराने के लिए पुलिस गांव में आकर बर्बर कार्रवाई करती है। अफसोस कि स्वाधीन भारत में हमारे गणतांत्रिक और मानवीय अधिकारों को खत्म किया जा रहा है।

आपको फिर एक बार जानकारी दे रहे हैं कि पिछली 3 जनवरी 2013 में जल संपदा, सचिव हमारे क्षेत्र में आकर संग्राम परिषद के साथ विचार-विमर्श किए थे। 16 जनवरी को सचिवालय में मुख्य शासकीय सचिव के साथ भी संग्राम परिषद के सदस्यों ने बातचीत में भाग लिया था, जिसमें हमारी ओर एक प्रस्ताव दिया गया था कि बड़े बांधों के बदले अगर चैकडेम (छोटे-छोटे बांध) बनाये जायें, तो इससे लोग विस्थापित भी नहीं होंगे और बोलांगिरि को भी पानी मिल जायेगा। सचिव ने हमको वायदा किया था कि परिषद से बातचीत के बगैर सरकार कोई भी काम नहीं करेगी। लेकिन अफसोस कि परिषद तथा क्षेत्रीय जनता को सूचित किये बगैर 8 अप्रैल 2013 को 12 प्लाटून पुलिस बल की सहायता से जिला प्रशासन और ओडिसा निर्माण विभाग ने अचानक काम आरम्भ करा दिया गया। क्षेत्रीय निवासियों के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने पर महिला, वृद्धों और बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया और जेल में डाल दिया गया। 29 अप्रैल को पुलिस ने सारी हदें पार करते हुए क्षेत्रीय निवासियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया गया। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बड़े बांध - जिनसे विस्थापन भी होता है और खर्च भी बेहद ज्यादा होता है - की जगह छोटे-छोटे बैराज बना कर क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा किया जाय तो इससे विस्थापन भी नहीं होगा तथा खर्च भी कम होगा। इस आशय का निवेदन हमने राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों को भेजा था। केन्द्र सरकार ने हमें स्वागत पत्र भी भेजा था। बावजूद इसके बेतहाशा पैसा बर्बाद करके इस परियोजना पर काम चल रहा है, जो हमारी समझ से परे है। परियोजना के निर्माण कार्य के बीच अभी तक करीब 100 करोड़ की हेरा-फेरी हो चुकी है, जिसकी सूचना भी सरकार के पास है, किन्तु फिर भी परियोजना कार्य जारी है। इससे साफ जाहिर है कि परियोजना से कौन लोग उपकृत होंगे, और किनके स्वार्थ के लिए परियोजना बनाई जा रही है।

अतः उपरोक्त खामियों की वजह से क्षेत्रीय निवासियों तथा संग्राम परिषद की ओर से हम इस परियोजना का निम्नलिखित मांगों के साथ पूर्णरूप से विरोध करते हैं-

1. लोअर सुकतेल में बन रहे बड़े बांध को पूर्ण रूप से बन्द किया जाय।
2. अंग नदी में निर्मित एनीकट को देखते हुए सुकतेल में भी बैराज, लिफ्ट इरीगेशन प्रकल्प के जरिए पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाय।
3. संग्राम परिषद तथा क्षेत्रीय निवासियों पर जो झूठे केस हैं उन्हें तुरन्त वापस लिया जाय।
4. लोगों को भयभीत करने वाले निर्माण स्थल पर चल रहे ब्लास्टिंग कार्य को तुरन्त बन्द किया जाय।
5. परिवेश मंजूरी खत्म होने के बाद भी परियोजना स्थल पर कार्य जारी है उसे तुरन्त बन्द किया जाय।

हमें आशा है कि आप इस संबंध में क्षेत्रीय जनता की परेशानियों को ध्यान में रखकर हस्तक्षेप करते हुए इस परियोजना को तुरन्त प्रभाव से बन्द करवाकर विस्थापन तथा शासन-प्रशासन की ओर से की जा रही बर्बरता से बचाने के लिए हमें सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे।

साभार,

लोअर सुकतेल बूढी आँचल संग्राम परिषद
मु0पो0- गडरांकर डुंगुरी पाली,
जिला- बलांगीर (ओडिशा)

## छत्तीसगढ़

# 13 गांव के लोगों ने कोयला कानून तोड़ एलान किया

## जमीन हमारी, कोयला भी हमारा

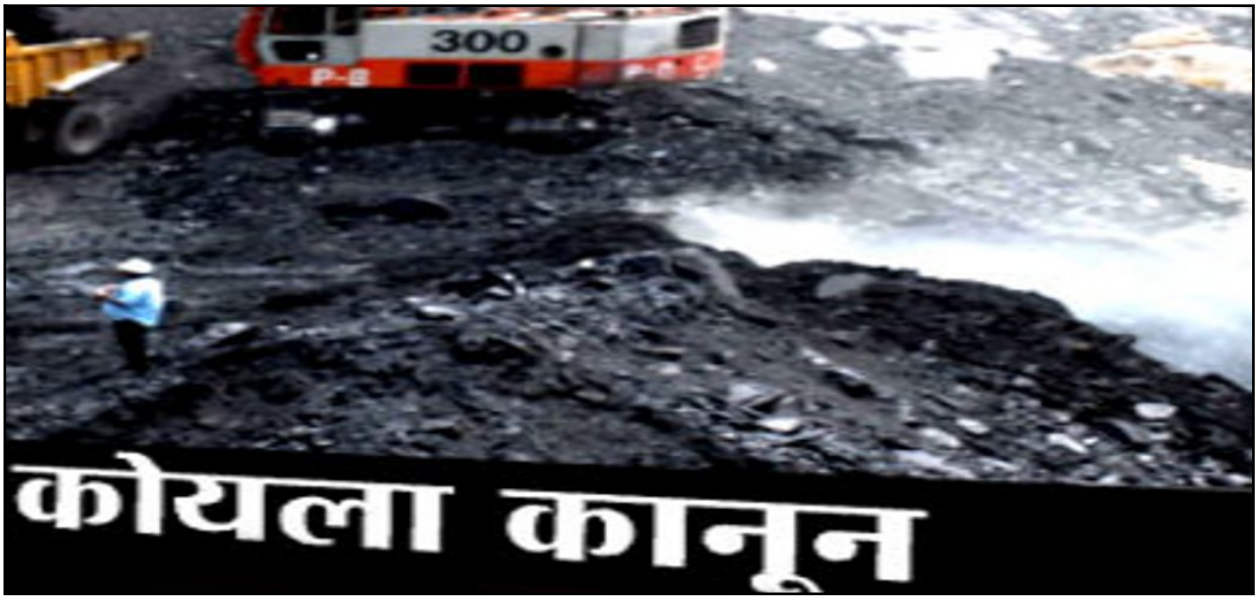


**रायगढ़** जिले के तमनार ब्लॉक के तेरह गांव के लोगों ने 2 अक्टूबर 2013 गांधी जयंती के दिन नमक कानून के तर्ज पर कोयला कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ कर सरकार की कोयला नीति के प्रति अपनी विरोध प्रदर्शित किया। दरअसल इन गांवों के लोग अपनी जमीन पर कोयला खोदने का हक चाहते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने अपनी एक कंपनी भी बनाई है जो कोल ब्लॉक और पॉवर प्लांट के लिय सरकार को आवेदन दे रही है। इस आंदोलन में हजारों की तादाद में महिला और पुरूषों ने हिस्सा लिया। उन्होंने गारे गांव के एक निजी जमीन पर कोयला खोद कर इस प्रतिकात्मक आंदोलन की शुरूआत की । बुलंद हौसलों की यह मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले।

रायगढ़ जिले के तमनार ब्लाक स्थित गांव में एक अनोखा आंदोलन आदिवासी ग्रामीणों ने मिलकर शुरू किया है जो आजादी के बाद से पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से स्थानीय ग्रामीण अपनी खेती किसानी की जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा तोड़े गए नमक कानून की तरह कोयला कानून तोड़ते हुए कोयला खोदकर विरोध जताया। इस अनोखे आंदोलन में पुरूषों के साथ स्थानीय महिलाओं एवं युवाओं तथा बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए लोक सभा न राय सभा सबसे बड़ी ग्रामसभा का नारा लगाते हुए आंदोलन का शंखनाद किया।

कहने को तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले रायगढ़ से लगे तमनार ब्लाक में जिंदल उद्योग समूह, मोनेट, जायसवाल निको एवं प्रकाश स्पंज सहित एनटीपीसी को कोयला खदानें आबंटित की गई है और इन कोयला खदानो के चलते अब तक आधा दर्जन से भी अधिक गांव नक्शे से गायब हो गये है।

समूचित पुर्नवास नहीं मिलने के साथ-साथ उचित मुआवजा मिलने की आस में स्थानीय गरीब आदिवासी पेशा कानून एक्ट क्षेत्र में लागू होने के बाद भी अपनी बेशकीमती खेती की जमीनें तो गंवा चुके हैं

और अब उनके घर कोयला खदानों के अंदर आने से उजड़ते नजर आ रहें है। इसी के डर से इन लोगों ने एक मत से निर्णय लिया है कि अपना जमीन अपना कानून की तर्ज पर वे स्वयं कोयला खोदेगे और उसे

बाजार में बेचकर स्वंय उद्योगपति बनेंगे। इन लोगों ने 2 अक्टूबर का दिन चुना और इस दिन महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर ये सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए अपने खेतों में जाकर कोयला खोदकर इस विरोध की शुरूआत की। तमनार क्षेत्र में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शुरू यह अनोखा आंदोलन ग्राम गारे के छोटे से मैदान पर इकट्ठा होकर शुरू किया गया । हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लेकर उद्योगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली और इस रैली में महात्मा गांधी की तस्वीर को आगे रखकर दांडी मार्च की तरह कोयला सत्याग्रह की शुरूआत की । यह भीड़ तमनार की प्रमुख सड़कों से होती हुई जिंदल उद्योग के पास स्थित कोयला खदान के पास समाप्त हुई। इस अनोखे आंदोलन में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने भी बताया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोडेंग़े और अपनी जमीन पर स्वंय कोयला उत्खनन करके रोजी रोटी का स्तर बढ़ायेंगे ।

इनका कहना है कि जमीन हमारी है तो इसके अंदर का कोयला भी हमारा होना चाहिये जिसकी रायल्टी हम सरकार को देने को तैयार हैं। चाहे वो रायल्टी उद्योगपतियों से यादा ही क्यूं न हो। यहां के लोगों ने पहले तो खुद की कंपनी बनाकर पॉवर प्लांट लगाने की घोषणा की थी और अब उन्होने कोल ब्लॉक लेने के लिये नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने का आवेदन भी दे दिया है और इसका मूल अवधारणा भी यही है कि जमीन हमारी है तो हमें कोयला खोदने का अधिकार भी मिलना चाहिये। कोयला कानून के अनुसार जमीन तो किसान की होती है पर उसके अंदर का कोयला पर सरकार का हक है । यदि किसी के जमीन में कोयला है तो सरकार उसे खोदने का ठेका उद्योगपति को दे देती है। दिल्ली में बैठकर पूरा सौदा हो जाता है और जिसकी जमीन है उसे पता भी नहीं चलता। गांव के लोग इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि जमीन से कोयला तो 20 करोड़ का निकाला जाता है पर उन्हें सिर्फ कुछ लाख देकर ठग दिया जाता है। इस आंदोलन में गारे ,सरसमाल , धौराभांठा, कोसमपाली सहित तेरह गांव के ग्रामिणों ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन के अगुवा मेहनतकश मजदूर किसान सभा के नेता हरिहर पटेल के अलावा किशन साव,मुन्ना चैधरी, कमला सिदार सहित हजारों की संख्या में ग्रामिणों ने हिस्सा लिया । रायगढ़ से राजेश त्रिपाठी के अलावा जनचेतना के सविता रथ ने भी हिस्सा लिया।

**इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य है-** किसानों को उनका वास्तविक हक दिलाना। वर्तमान में जो कानून है, उसके अनुसार खनिज पर पहला हक सरकार का बताया जाता है। इन हालात में खनिज के उत्खनन के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। पिछले साल गारे गांव के किसानों ने बिना अनुमति लिए 2 अक्टूबर को खुद कोयला खोदा था। उनका कहना था कि जमीन हमारी है, कोयला भी हमारा ही होगा। हम इसके बदले में सरकार को रायल्टी देने को तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना था कि वह अब यह कभी मंजूर नहीं करेंगे कि उनके जमीन का फैसला दिल्ली में एसी कमरे में बैठा कोई अधिकारी करे।

**किसानों को दो उनका हक:** माइंस एंड मिनरल फॉर पीपुल्स के गुमान सिंह ने कहा कि गारे गांव ने पूरे देश के किसानों को अपने हक की प्रेरणा दी है। इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य है कि जमीन के अंदर के कोयले पर हक किसान का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 जुलाई 2013 को केरल मामले में फैसला दिया है कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसमें जमीन के अंदर के खनिज का स्वामी सरकार हो। इस लिहाज से उसका मालिक भू-स्वामी होगा।

**यहां से शुरू होगा :** देश से सभी राज्यों से लगभग डेढ़ सौ प्रतिनिधि 2 अक्टूबर को गारे गांव पहुंचे। वहां एक बार फिर कोयला कानून इस साल तोड़ा गया। इसके बाद बंगाल, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश सहित अन्य राज्यों में कोयला कानून को तोड़ा जाएगा।

## उत्तर प्रदेश

# लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के विरोध में अनशन शुरू

एक्सप्रेस वे के विरोध में किसानों का 16 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। इसमें भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत अन्य छोटे.छोटे दल भी समर्थन कर रहे हैं। इससे किसानों की ताकत और बढ़ी रही है। 11 दिसंबर 2013 को चार ट्रैक्टर पर लोहामढ़, गागेमऊ, बनपुरा, गोवा, सियापुर, हिमनापुर, फगुहा भट्टा, झबरा, रतापुर्वा, सेंगरनपुर्वा, पचोर, मतौली, जरियन, अलमापुर गांव समेत आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के लिए रवाना हो गए। विरोध प्रदर्शन स्थल पर केतकी देवी, मुन्नी देवी, कोकिला, सुमन, रमा देवी, प्यारेलाल, सेवाराम, वीरभान, हरीराम समेत एक दर्जन ग्रामीण फिर भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन तभी खत्म होगा या फिर एक्सप्रेस वे का रुट बदल जाए या फिर हमारी जान ले ली जाए। किसान दिन रात प्रदर्शन स्थल पर डटे रहते हैं।

**अनशन स्थल पर बैठे पांच किसानों की हालत बिगड़ी**

फगुहा गांव के हिमनापुर मोड़ पर एक्सप्रेस वे के लिए जमीन न देने की जिद पर किसान अड़े हैं। पिछले 16 दिनों से लगातार अनशन जारी है। 20 दिसंबर 2013 को शाम पांच बजे के करीब अनशन स्थल पर बैठी सुमन देवी (55) पत्नी रूपलाल वर्मा, सेवाराम (57), सूबेदार (75), रामनरेश (45), रामस्वरुप (65) निवासीगण हिमनापुर की हालत अचानक बिगड़ गई। सुमन देवी बेहोश होकर अनशन स्थल पर गिर पड़ी। किसानों ने तत्काल मोबाइल से एंबुलेंस बुलाने के लिए फोन किया। ग्रामीणों के मुताबिक एक घंटे इंतजार करने के बाद भी एंबुलेंस नहीं आई। इस पर सुमन देवी के परिजन उसे बाइक पर लेकर तिर्वा के निजी चिकित्सालय में चले गए। शेष चार किसान फगुहा में ही कार्यरत एक निजी चिकित्सक के यहां पहुंचे और अपना उपचार कराया। किसानों का आरोप है कि अनशन स्थल पर आज तक जिले का कोई बड़ा अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। भीषण सर्दी व कोहरे के मौसम के चलते यदि कोई हादसा हो जाता है तो जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा।

**50 गांवों से गुजरेगा ग्रीन एक्सप्रेस-वे**

आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) 50 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें सदर तहसील के फगुआ, बेहरिन, वनपुरा नरायनपुर्वा, पचोर, गागेमऊ, गोवा, मतौली व लोहामढ के राजस्व गांव चयनित

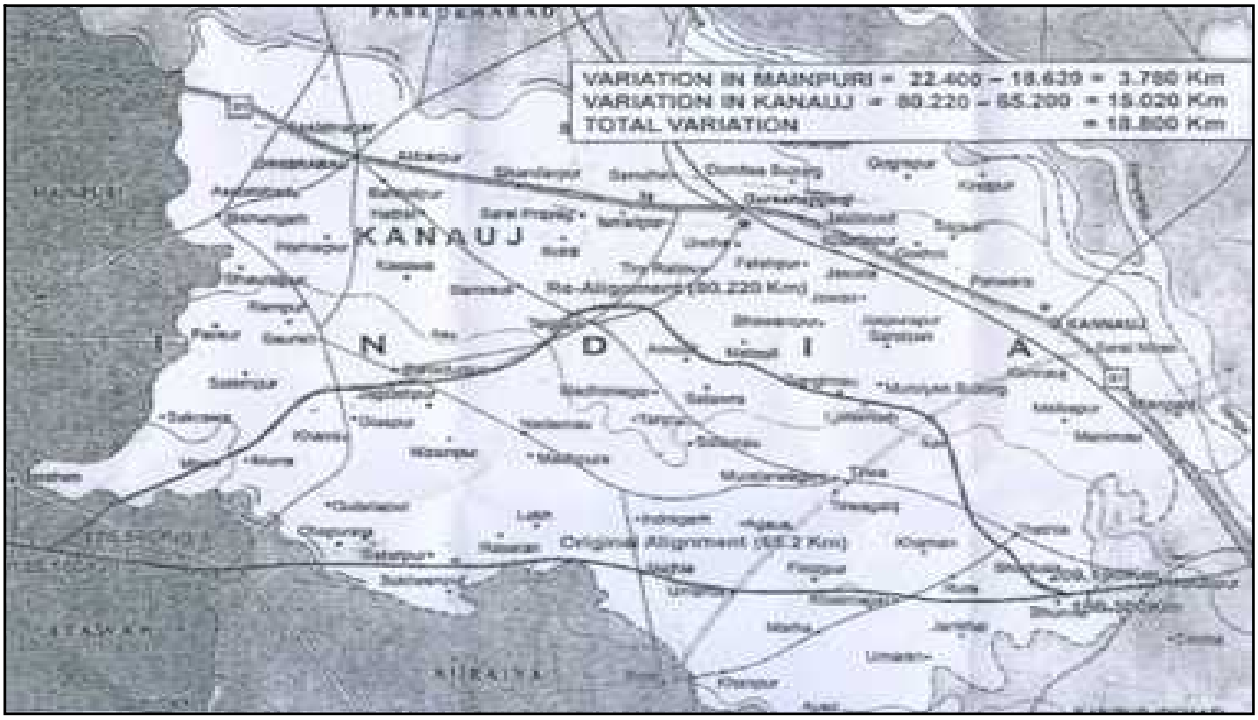


इसी तरह तिर्वा तहसील में बहसुइया, पिपरौली, भुन्ना, कड़ेरा, सिकरोरी, सियापुर काछी, अलमापुर, सतसार, बलनापुर, पट्टी, अलीपुर अहाना, बस्ता व ठठिया गांव इसके दायरे में हैं। छिबरामऊ तहसील में सकरहनी, देवपुर, सिकंदरपुर, बरगावां, नगला खेमकरन, तेरारब्बू, बझेडी, नरमऊ, हुसेपुर, सौरिख, तालग्राम, मुसाफिरपुर, अयूबपुर, रसूलपुर, सलेमपुर रैपालपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर हरभानपुर, मुंडाला, बिरौली, अमोलर, त्योर, रनुआ, मिश्राबाद, डडौनी, नगला बिशुना, बहादुर मझिगवां, भीखमपुर सानी, जलालपुर दीनदारपुर, बेहटा खास राजस्व गांव सम्मिलित हैं।

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) का काम जल्द शुरू कराने के लिए कहा है। 270 किमी की छह लेन वाले एक्सप्रेस वे को बनाने में करीब 9500 करोड़ का खर्च आएगा।

**प्रमुख शहरों को बाईपास से जोड़ा जाएगा :** एक्सप्रेस वे का रूट आगरा से शुरू होकर फिरोजाबाद ,इटावा ,मैनपुरी, कन्नौज और हरदोई होते हुए लखनऊ तक आएगा। रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहरों को बाईपास के जरिये एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा।

**10.25मीटर की होगी हरित पट्टीः** एक्सप्रेस वे में हरियाली का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इसके दोनों ओर लगभग 10.25 मीटर तक हरित पट्टी विकसित की जाएगी। प्रस्तावित एक्सप्रेस वे कस्बों व गांवों से दूर होगा।

**औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में करेंगे विकसितः** मुख्य सचिव ने कहा कि एक्सप्रेस वे को औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेस वे के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ,शिक्षण संस्थान व मेडिकल संस्थानों की स्थापना के अवसर बनेंगे। आगरा ,फिरोजाबाद व मलिहाबाद जैसे पर्यटन व उद्योगों से जुड़े शहरों के बीच तीव्रगामी व्यापारिक सुविधा उपलब्ध होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों और राजधानी के बीच यातायात त्वरित और सुगम हो जाएगा।

**पीपीपी मॉडल पर बनेंगी फोर लेन सड़कें :** स्टेट हाइवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अधिक ट्रैफिक वाली सड़कों को पीपीपी मॉडल के जरिये फोर लेन बनाने के लिए एक माह के अंदर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

## दिल्ली

### राष्ट्रीय संवाद

# पूंजीवाद का संकट और लोकतंत्र पर अंधाधुंध हमला

डिप्टी स्पीकर हॉल, कांस्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में 9-10 दिसम्बर 2013 को पूंजीवाद का संकट और लोकतंत्र पर अंधाधुंध हमला विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद का आयोजन इंसाफ द्वारा किया गया.

इस संवाद को पांच सत्रों में विभाजित करके इस परिचर्चा को चलाया गया. पहला सत्र 'पूंजीवाद का संकट और लोकतंत्र पर अंधाधुंध हमला' विषय पर था जिसमें प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार पी साईनाथ ने अपने विचार रखे. इस सत्र की अध्यक्षता जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने की. दूसरे सत्र में इसी विषय पर पैनल चर्चा में प्रो॰ विभूति पटेल (निदेशक, सेटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्स्क्लूजन एंड इन्क्लूसिव पॉलिसी) एसएनडीटी वूमंस यूनिवर्सिटी, मुंबई प्रो॰ अचिन वनायक (पूर्व डीन ऑफ सोशल साइंसेज, दिल्ली विश्वविद्यालय) प्रो॰ रमेश दीक्षित (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) ने अपने विचार रखे.

दुसरे दिन (10 दिसंबर) को पहला सत्र 'राज्य की खुफियागिरी और जनतंत्र का संकट' विषय पर समर्पित था. इस सत्र में प्रबीर पुरकायस्थ (दिल्ली साइंस फोरम) सुश्री सुबी चतुर्वेदी (असिस्टेंट प्रोफेसर-पत्रकारिता एवं संचार, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमन, दिल्ली विश्वविद्यालय; संस्थापक एवं अवैतनिक प्रबंध न्यासी, मीडिया फॉर चेंज) ने अपने विचार रखे.

तीसरा सत्र- '**असहमति का दमन: एफसीआरए के जरिये एनजीओ का दम घोंटना' विषय पर था. इस सत्र में** कबीर दीक्षित (एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया), मैथ्यू चेरियन (अध्यक्ष, क्रेडिबिलिटी अलायंस) ने अपने विचार रखे.

उदघाटन सत्र में अनिल चौधरी ने कहा कि पिछले दो दशकों में देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार संस्थाओं से किए गए अपने वायदे को पूरा करने में 'राज्यसत्ता' अपनी ही जनता के खिलाफ अधिक से अधिक आक्रामक होती जा रही है, ताकि वैश्विक पूंजी का हित साधन किया जा सके। इस ढर्रे पर चलते हुए वैश्विक पूंजी के हित में इस 'राज्यसत्ता' ने हर विरोध में खड़े होने वाले हर व्यक्ति को झूठे मामलों की जाल में फंसाने की चाल व्यापक तौर पर चली है। हालांकि 'राज्यसत्ता की चालाकी' के मद्देनजर झूठे मामलों की जाल में फंसाने की चाल नई नहीं है, लेकिन इस बार यह चाल लक्षित तोर पर चुन-चुन कर चली जा रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए न केवल आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इस दौर में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूएपीए जैसे नए कानून और विभिन्न राज्य स्तरीय 'सुरक्षा कानून' बनाए जा रहे हैं।

तो इसी संदर्भ में इंसाफ ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2013 आयोजित करना तय किया है।

पी साईनाथ ने अपने विचार रखते हुए कहा कि 22 वर्ष पहले जबसे नव-उदारवादी एजेंडा के लागू होने के शुरुआती दौर से ही भारतीय राजसत्ता के भीतर लोकतांत्रिक अवसर एवं स्थान लगातार सिकुड़ता जा रहा है और 2014 के आम चुनावों की तरफ तेजी से बढ़ता वर्तमान परिदृश्य संसदीय लोकतंत्र की अव्यवस्था एवं अराजक स्थिति को ही परिलक्षित करता है। राजनीतिक प्रक्रिया की मौजूदा स्मृतिलोप को विश्लेषित करने और इसे समझने के लिए 'पूंजीवाद', इसके 'संकट' और 'लोकतंत्र' के बीच के अंतर्निहित संबंध को सामने लाने वाला मुख्यधारा का विमर्श इरादतन विफल हो गया लगता है।

पूंजीवाद के वर्तमान चरण को चला रही हवाई एवं सट्टे वाली पूंजी के चारित्रिक लक्षण संसदीय लोकतंत्र की सक्रियता के सभी स्तरों पर-नियमन एवं शासन से लेकर चुनावी प्रक्रिया तक - नीतियों एव निर्णय प्रक्रिया पर कॉरपोरेटी प्रभावों के रूप में, सत्ता के शिखरों पर अनियंत्रित भ्रष्टाचार के रूप में, राजनीति पर धन और बल के नियंत्रण के रूप में साफ दिखाई दे रहे हैं।

इसलिए वैश्विक पूंजीवाद (भारत के पूंजीवाद सहित) के आगामी संकट और हमारे लोकतंत्र पर मंडराते खतरे के बीच के पारस्परिक संबंध को उजागर करना जरूरी है। पूंजीवाद के नव-उदारवादी चरण और 'लोकतंत्र' की आवश्कताओं का विस्तार एवं विचलन, अपनी समान राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही, लगता है वर्तमान में भारतीय राजसत्ता को निगलती जा रही निराशा की व्याख्या करने की कुंजी है। 'लोकतंत्रों' को 'कॉरपोरेट तंत्रों' में रूपांतरित करने के प्रयास भी, जो हम आजकल देखते हैं, इसी निराशा की वजह से हो रहे हैं।

# परमाणु दुःस्वप्न से जूझते भारत के आम लोग

*भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद देश के कई कोनों में परमाणु-बिजलीघर, इससे संबंधित दूसरे कारखाने और यूरेनियम खनन परियोजनाओं में काफी तेजी आई है. विकिरण के खतरनाक प्रभावों, पर्यावरण के विनाश और इन परियोजनाओं के लिए लोगों को उनके जमीनों और रोजगार से बेदखल करने के खिलाफ इन सभी जगहों पर किसान, मछुआरे और साधारण लोग गोलबंद होकर प्रतिरोध में उतर रहे हैं. देश के अन्य भागों में जल-जंगल -जमीन और जीविका के पक्ष में चल रहे जनांदोलनों की तरह ही परमाणु-विरोधी आंदोलन को भी बर्बर दमन और सरकारी कुचक्रों का सामना करना पड़ रहा है. तमिलनाडु के कूडनकुलम, महाराष्ट्र के जैतापुर, आंध्र प्रदेश के कोवाडा, गुजरात के मीठीविरदी, और मध्यप्रदेश के चुटका में अणुबिजली प्रकल्पों के खिलाफ जोरदार आंदोलन चल रहे हैं. पेश है इन जन-आन्दोलनों का ताजाहाल:*

**कूडनकुलम** – सुप्रीमकोर्ट के फैसले में आंदोलनकर्मियों पर लगे हज़ारों बेतुके, संगीन और झूठे मुकदमे वापस लेने का आदेश होने के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने कूडनकुलम आंदोलन के प्रमुख नेताओं सहित हजारों गाँववासियों पर मुकदमे जारी रखे हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हत्या, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से लेकर देशद्रोह और भारतीय राज्य के खिलाफ युद्ध छेडने तक के मुकदमे इन बेक़सूर लोगों पर लगाए गए हैं जो अपनी सुरक्षा और जीविका के सवालों को लेकर पूर्णतः शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं. जब आंदोलन की तरफ से मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो वहाँ राज्य सरकार ने शपथपत्र देकर कहा है कि कूडनकुलम क्षेत्र के हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं और ये मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पुराने मुकदमों पर ही लागू होगा, शायद यह सोचकर राज्य पुलिस ने आंदोलन में शामिल लोगों और गाँव के प्रमुख सदस्यों पर दर्जनों नए फर्जी केस मध् दिए हैं. कूडनकुलम के नजदीक स्थित सुनामी-कालोनी में हुए एक हाल के विस्फोट में भी इस आंदोलन के नेता एस पी उदयकुमार समेत कई अन्य लोगों पर फिर से संगीन मुकदमे में फंसाने की साजिश की गयी जो नाकाम हो गयी क्योंकि इस बम विस्फोट में उस इलाके में काम कर रहे रेत-खनन माफिया का हाथ सामने आ गया. जनवरी की चार और पांच तारीख को कूडनकुलम में देश-स्तरीय परमाणु विरोधी आन्दोलनों का सम्मलेन आयोजित किया गया है जिसमें पूरे भारत से कार्यकर्ता और समाजकर्मी शामिल होंगे.

**गोरखपुर** – दिल्ली से सटे हरियाणा में प्रस्तावित इस प्लांट के लिए सरकार ने दमन, छल और लालच का सहारा लेकर जमीन तो अधिग्रहित कर ली है लेकिन इलाके में ग्रामीणों का आंदोलन जारी है. इस आंदोलन में प्रभावित गांवों के मुआवजा ले चुके धनी किसानों को छोडकर गाँव के बाकी लोग और खासकर भूमिहीन किसान शामिल हैं जिन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला और गाँव खाली करने की नोटिस मिल चुकी है. साथ ही आस-पास के गाँवों के लोग भी आंदोलन में उतर रहे हैं जो सीधे विस्थापित तो नहीं हुए हैं लेकिन उनकी फसलों और सुरक्षा को इस परियोजना से गंभीर खतरा है. भाखडा नाहर से उनके खेतों को मिलने वाला पानी आधा हो जाएगा और साथ ही दुर्घटना की स्थिति में इस परियोजना में पर्याप्त पानी का अभाव है जो रिएक्टरों को ठंडा कर पाए. प्लांट के उदघाटन के लिए प्रधानमंत्री जनवरी में हरियाणा जाने वाले हैं और इस मौके पर विरोध-प्रदर्शन की तैयारियां आंदोलन की तरफ से भी की जा रही है.

**जैतापुर** – महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रांसीसी कंपनी अरेवा का रिएक्टर लगना है जिसका विरोध वहाँ परियोजना के आरम्भ से ही हो रहा है. अक्टूबर में इस परियोजना के खिलाफ हज़ारों बच्चों ने परमाणु-विरोधी नारों और संदेशों वाले गुब्बारे हवा में छोडकर इस प्लांट का विरोध दर्शाया. जैतापुर के सक्रिय भूकंप क्षेत्र में होने के बारे में सामने आए नए भूगर्भशास्त्रीय अध्ययन से भी इस आंदोलन का विरोध गर्माया है. हालांकि सरकार ने हाल में कुछ बड़ी जोत वाले किसानों को अपने पक्ष में करने और जमीन अधिग्रहीत करने में सफलता पाई है लेकिन ज़मीन पर अभी लोगों का विरोध मजबूत है. खास तौर पर साखारी नाते गाँव में जहाँ मछुआरे अपनी जीविका बचाने के लिए प्रतिबध्द हैं.

---


# संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com